रा.अ. मु.सं. 20/2019
RCMS No. 2019/00129

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 20/2019

पूर्णाराम पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी काहिरा तहसील नोखा जिला बीकानेर
अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर
रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :—

1— अपीलान्ट की ओर से — श्री मेघाराम गोदारा अधिवक्ता
2— स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 26.02.2020

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार(राजस्व) नोखा के आदेश दिनांक **30.07.2019** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश दिया गया है। जो विदाउट ज्युरिडिक्शन, एवीन्यूसियों नल एण्ड वोयड, अवैध, इलीगल, मनमाना स्वार्थवश पारित होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की कृपा करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अपीलान्ट के पिता की खसरा नम्बर 812 में खातेदारी भूमि है उक्त भूमि में पूर्व से किसी प्रकार का रास्ता प्रचलन नहीं था न वर्तमान में प्रचलन में है। उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा दिनांक 22.11.2017 को खसरा नम्बंर 812 की कुल भूमि में से 0.03 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 22.11.2017 के आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त में अपील विचाराधीन है तथा गैर मुमकिन इन्तकाल को अपील इस न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए अपेक्स न्यायालय द्वारा यह निर्णय होना है उपखण्ड अधिकारी का निर्णय सही है या गलत है यह निर्णय संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर द्वारा किया जाना है। दोनों अपीलों के विचाराधीन रहते तहसीलदार नोखा अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं कर सकता

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

जिसके विरूद्ध अपील की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी है कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को उपखण्ड अधिकारी ने गैर मुमकिन किया उस आदेश की अपील संभागीय आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है तथा नामान्तरण की अपील जिला कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए अपेक्स न्यायालयों द्वारा निर्णय होना है इसलिए तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की बैधता का निर्णय संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाना है इसलिए उक्त निर्णय तक तहसीलदार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता इसलिए निर्णय निरस्त योग्य है। यह एडमीटेड फेक्ट है कि अपीलान्ट वादगत भूमि का खातेदार है खातेदार की अतिक्रमी घोषित नहीं किया जा सकता नहीं खातेदार के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा सकती इसलिए आदेश विदाउट ज्युरिडिक्शन होने से काबिल निरस्त योग्य है। तहसीलदार नोखा द्वारा न तो अपीलान्ट को नोटिस दिया गया न ही रिकार्ड देखा गया नहीं धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की ओर ध्यान दिया। इसलिए आदेश इलीगल होने से निरस्त योग्य है। खसरा नम्बर 812 जमाबंदी के अनुसार गैर मुमकिन नहीं है। इसलिए उसका छोटा भाग मीन (टुकडा) गैर मुमकिन नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विदाउट ज्युरिडिक्शन, एवीन्यूसियों नल एण्ड वोयड, अवैध, इलीगल, मनमाना स्वार्थवश पारित होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की कृपा करें।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का काहिरा द्वारा धारा 91 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम काहिरा के खसरा नम्बर 1479/812 तादादी 0.03 हैक्टयर गैर मुमकीन रास्ता भूमि **पर संवत 2076** में अनाधिकृत रूप से तारबंदी कर अतिक्रमण किये जाने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल को नोटिस भेजा गया। गैर सायल नोटिस लेने से मना करने पर नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया। गैर सायल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का काहिरा से फर्द मौका रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर गैर मुमकीन रास्ता भूमि पर **अनाधिकृत रूप से तारबंदी कर** अतिक्रमण किये जाने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन रास्ता भूमि पर अवैध रूप से **तारबंदी** बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण की रिपोर्ट की है। जिस पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। अप्रार्थी/अपीलान्ट को जारी नोटिस लेने से इन्कारी के आधार पर आबाद मकान पर चस्पांदगी के जरिये तामील कराया गया है जिस पर एक ही गवाह के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन भूमि गैर मुमकीन रास्ता की स्वीकृति व नामान्तरण के विरूद्ध अपील लम्बित होने का तथ्य भी है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार नोखा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत निर्णय पारित करें। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.03.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर